

प्रेस विज्ञप्ति
थाना सरायमीर

25 किलोग्राम गोमांस व चार अदद चाकू नाजायज के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान गोवध से सम्बन्धित अपराधों की रोकथाम व अपराधियों के गिरफ्तारी के क्रम में दिनांक 01.11.2020 को प्र० नि० अनिल कुमार सिंह, उ०नि० विपिन कुमार सिंह, उ०नि० आशुतोष मिश्रा, उ०नि० रामकृष्ण सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर महताब आलम का घर अफसर अलीगंज बस्ती वफासला 03 किमी दक्षिण पश्चिम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से 06 नफर अभियुक्त 1. मो० अजीम पुत्र हाजी आफताब आलम 2. मो० सैफ पुत्र अब्दुल कय्यूम 3. मो० साकिर पुत्र कामिल फिरदौस 4. मो० हमजा पुत्र खुर्शीद अहमद निवासीगण शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 5. मो० हुरैरा पुत्र मो० सोऐब 6. मो० उजैफा पुत्र सोऐब निवासीगण अफसर अलीगंज बस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को समय करीब 21.05 बजे 25 किलोग्राम गोमांस व चार अदद चाकू नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 207/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 307 भादवि बनाम 1. मो० अजीम पुत्र हाजी आफताब आलम 2. मो० सैफ पुत्र अब्दुल कय्यूम 3. मो० साकिर पुत्र कामिल फिरदौस 4. मो० हमजा पुत्र खुर्शीद अहमद निवासीगण शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 5. मो० हुरैरा पुत्र मो० सोऐब 6. मो० उजैफा पुत्र सोऐब निवासीगण अफसर अलीगंज बस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, मु०अ०सं० 208/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो० अजीम पुत्र हाजी आफताब आलम निवासी शेरवाँ थाना सरायमीर आजमगढ़, मु०अ०सं० 209/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो० सैफ पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी शेरवाँ थाना सरायमीर आजमगढ़, मु०अ०सं० 210 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो० साकिर पुत्र कामिल फिरदौस निवासी शेरवाँ थाना सरायमीर आजमगढ़ व मु०अ०सं० 211 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम मो० हमजा पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण:- महताब आलम का घर अफसर अलीगंज बस्ती वफासला 03 किमी दक्षिण पश्चिम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ से दिनांक 01.11.2020 अभियुक्तगणों को 25 किलोग्राम गोमांस व 04 अदद चाकू से साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी का विवरण:-

25 किलोग्राम गोमांस बरामद व 04 अदद चाकू नाजायज बरामद

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु०अ०सं० 207/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० व 307 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 208/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 209/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 210 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।
5. मु०अ०सं० 211 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मो० अजीम पुत्र हाजी आफताब आलम निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मो० सैफ पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मो० साकिर पुत्र कामिल फिरदौस निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मो० हमजा पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी शेरवा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. मो० हुरैरा पुत्र मो० सोऐब निवासी अफसर अलीगंज बस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
6. मो० उजैफा पुत्र सोऐब निवासी अफसर अलीगंज बस्ती थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

प्र० नि० अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ मय हमराहियान।

उ०नि० विपिन कुमार सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़
उ०नि० आशुतोष मिश्रा थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
उ०नि० रामकृष्ण सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० नीरज यादव थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० राहुल कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० अश्वनी यादव थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० विनय कुमार थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० शुभम सिंह थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० विकाश यादव थाना सरायमीर आजमगढ़ ।
का० रजनीश गौड़ थाना सरायमीर आजमगढ़ ।

थाना- मेहनगर

आपत्तिजनक विडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01.11.2020 को मेहनगर थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि मेरी लड़की को शेरराज उर्फ बब्लू पुत्र मो० समीम सा० शम्भूनगर उम्र 19 वर्ष थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ , **स्थायी पता-** ग्राम डीहा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, स्कूल आने जाने के समय बराबर परेशान कर रहा था, एक वर्ष से फोन करके धमकी दे रहा था तथा मेरी लड़की को मजबूर कर मेरी लड़की की आपत्तिजनक विडियो बनवाकर वायरल कर दिया तथा मेरी लड़की को और विडियो बनवाने का दबाव डालने लगा तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। मेरी लड़की से पैसा मांगता है तथा पहले भी पैसा ले चुका है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 170/20 धारा 354D/506 भादवि व 67 IT ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस आधिकारिक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण में प्र०नि० प्रशान्त श्रीवास्तव के निर्देशन नि०अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराह उ०नि० विरेन्द्र यादव मय हमराह फोर्स के क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना मिली की मु०अ०सं० 170/20 धारा 354D/506 भादवि व 67 IT ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त कही भागने की फिराक में गोपालपुर में शम्भूनगर मोड़ पर साधन के इन्तजार कर रहा है कि मुखबीर की सूचना पर नि०अपराध मय हमराह फोर्स व मय मुखबीर के प्रस्थान कर मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान गोपालपुर पहुचकर शम्भूनगर से थोड़ा पहले मोड़ पर खडे व्यक्ति के तरफ इशारा करके हट बढ गया मुखबीर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास जैसे ही पुलिस पहुची तो पुलिस वालो को देखकर वह व्यक्ति हडबडा गया व ईधर उधर भागने का प्रयास किया की हमराह कर्मचारीगण की मदद से घेरकर दिनांक 02.11.2020 समय 7.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 170/20 धारा 354D/506 भादवि व 67 IT ACT व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

शेरराज उर्फ बब्लू पुत्र मो० समीम सा० शम्भूनगर उम्र 19 वर्ष थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।
थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़

स्थायी पता- ग्राम डीहा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

नि०अपराध राजेश कुमार मिश्र, उ०नि० विरेन्द्र यादव मय हमराह फोर्स